राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 5/पी.डी./कोष/10–11/ दिनांक:–

1. कोषाधिकारी
   समस्त।
2. भुगतान एवं लेखाधिकारी
   बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।

परिपत्र सं.–6/2011 (कोष एवं बजट)

विषयः– विगत 5 वर्षो से निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बन्द करने के संबंध में।

प्रसंगः-- वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक: प.8(3) वि.मा./2010 दिनांक 02.08.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश द्वारा राजस्थान कोषागार नियम 1999 के नियम 90 एवं वित्त विभाग द्वारा निजी निक्षेप खातों को बन्द करने के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अतिक्रमण में कोषाधिकारियों को कोषालय में संधारित ऐसे निजी निक्षेप खाते (ब्याज रहित एवं ब्याज सहित) जो पिछले 5 वर्षो से निष्क्रिय है, को बन्द करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। इसके उपरान्त भी कोषाधिकारियों द्वारा अप्रचलित खातों को बन्द करने की कार्यवाही प्रभावी रूप से नहीं की जा रही है। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक: प.8(9)वि.मा./2009 दिनांक 14.12.2010, इस विभाग के पत्रांक: 7136–7152 दिनांक 13.01.2011, 7779–7798 दिनांक 14.02.11 तथा 8575–8613 दिनांक 04.03.11 द्वारा भी आपको विगत 5 वर्षो से निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बन्द कर, सूचंना वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि इस विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन सूचना अभी तक अप्राप्त है।

वित्त विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक: प.8(3)वि.मा./2010 दिनांक 02.08.2010 में निर्देशित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रचलित खातों को तुरन्त बन्द कर वित्त विभाग एवं इस विभाग को अवगत करावें। भविष्य में भी इन निर्देशों की पालना स्वप्रेरणा से करना सुनिश्चित करें।

निदेशक

क्रमांक: एफ. 5/पी.डी./कोष/10--11/8940 – 8941 दिनांक:-- 16/3/11

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. वित्त विभाग (मार्गोपाय अनुभाग) राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक NIC वित्त भवन को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।

निदेशक